न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील संख्याः 56 / 2014 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. हीरादेवी पत्नी स्व0 मोतीलाल
2. लेखराज
3. मनोज } पुत्रान स्व0 मोतीलाल
4. किशनसिंह पुत्र जुगलसिंह

} जाति काछी नि0 उच्चैन तहसील रूपवास जिला जिला भरतपुर।

..............अपीलान्ट्स

बनाम

1. लालसिंह
2. लालजीत
3. श्रीराम (मृतक)
   3/1 बन्टी
   3/2 विश्वेन्द्र } पुत्रान स्व0 श्रीराम
   3/3 पिन्टू
   3/4 कमलेश पुत्री श्रीराम
   3/5 पूनम पुत्री श्रीराम
   3/6 प्रेम पत्नी स्व0 श्रीराम
4. वीरेन्द्रसिंह पुत्र तुलसीराम
5. लक्ष्मी पुत्री तुलसीराम

} जाति काछी नि0 उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...............उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत खडेरा पंचायत समिति रूपवास दिनांक 20.3. 2013 नामान्तरकरण संख्या 1168 ग्राम जुगलापट्टी उच्चैन तहसील रूपवास प्रकरण विरासत मृतक बाबूसिंह

उपस्थितिः–

1 श्री महाराजसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।

2 श्री दुलीचंद शर्मा वकील रैस्पो0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 29.11.2017

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खडेरा पचांयत समिति रूपवास की आज्ञा दिनांक 20.3.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश से मृतक बाबूसिंह के मृत्योपरान्त विरासतन नामान्तरकरण अप्राथीगण के हक में भरा गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत खडेरा पचांयत समिति रूपवास की आज्ञा दिनांक 20.3.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ग्राम पचांयत खडेरा पंचायत समिति रूपवास द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1168 दिनांक 20.3.2013 बाबूसिंह की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम से स्वीकृत किया गया है। प्रथमतः ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील को सुने जाने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नहीं है बल्कि ग्राम पचांयत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार को संबधित उपखण्डाधिकारी के यहां अपील दायर की जानी चाहिऐ थी। लिहाजा ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील सुने जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होने के कारण यह अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट श्रवण क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official